मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक **18-03-2026**

क्रमांक एफ **1/1/1/0013/2023-Sec-1-10 :: -** राज्य शासन एतद्द्वारा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा आयोजित राज्य वन सेवा परीक्षा **2024** के घोषित चयन परिणाम की मुख्य सूची में अंकित निम्नलिखित उम्मीदवारों को सहायक वन संरक्षक के पद पर इस आदेश के नीचे अंकित शर्तों के तहत वेतनमान रूपये **56,100 - 1,77,500** पर **(**राज्य शासन वेतन पुनरीक्षण सारणी लेवल**-12)** में नियुक्त करता है **:-**

स.क्र.	लोक सेवा आयोग का अनुक्रमांक	उम्मीदवार का नाम	सीट
1	**400248**	**MOHIT KUMAR SHARMA**	**UNR**
2	**400145**	**ANURAG KUMAR PATEL**	**UNR**
3	**400195**	**DINESH KUMAR**	**SC**
4	**400061**	**GARVIT JAIN**	**UNR**
5	**400174**	**VINOD KUMAR ORA**	**UNR**
6	**400062**	**DASHRATH VISHWAKARMA**	**OBC**
7	**400116**	**ANKIT KUMRAWAT**	**OBC**
8	**400244**	**PRABHANSHU KAMAL MISHRA**	**EWS**
9	**400023**	**VIRENDRA PRAJAPATI**	**SC**
10	**400052**	**LAKVENDRA KUMAR PRAJAPATI**	**SC**
11	**400243**	**RATNARAJ SINGH THAKUR**	**ST**
12	**400022**	**VALSINGH KANESH**	**ST**

शर्तें **:-**

1. यह नियुक्ति प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, वन भवन, भोपाल में उपस्थिति दिनांक से प्रभावशील होगी। वरिष्ठता लोक सेवा आयोग के मेरिट सूची के अनुसार होगी।
2. यह नियुक्ति चार वर्ष की परिवीक्षा पर होगी। उचित कारण से परिवीक्षा की कालावधि एक वर्ष के लिए वृद्धि की जा सकेगी।
3. यदि शासन की यह राय है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति के उपयुक्त अधिकारी बनने की संभावना नहीं है तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा की कालावधि या बढाई गई परिवीक्षा की कालावधि के दौरान किसी भी समय सेवामुक्त कर सकेगा।

4. प्रत्येक परिवीक्षाधीन व्यक्ति को नियुक्ति के पश्चात वानिकी में दो वर्ष का पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठयक्रम लेने के लिए तथा दो वर्षों की समाप्ति के पश्चात विहित परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सेंट्रल अकादमी फॉर स्टेट फारेस्ट सर्विस देहरादून या कोयम्बटूर या उसके समकक्ष किसी अन्य अकादमी में जैसा की शासन द्वारा विनिश्चित किया जाए, प्रतिनियुक्ति किया जाएगा।

5. उक्त महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पूर्व परिवीक्षाधीन व्यक्ति विहित प्रारूप में एक करारनामा तथा प्रतिभूति बंध पत्र निष्पादित करेगा।

6. परिवीक्षा के समाधानप्रद रूप में पूर्ण होने पर परिवीक्षा की कालावधि को ध्यान में रखते हुए वेतन नियत किया जायेगा, तथापि परिवीक्षा की कालावधि में की गई वृद्धि के मामले में वेतन के बकाया की मंजूरी शासन के विनिश्चय के अध्यधीन होगी, जो ऐसे मामले का विनिश्चय करते समय इस तथ्य का ध्यान रखेगा कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों का तत्परतापूर्वक अनुशीलन किया है, और यह कि परिवीक्षा की कालावधि में की गई वृद्धि इस कारण नहीं थी कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों के परिपालन में परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने उपेक्षा की या उसकी तत्परता में कोई कमी थी।

7. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, जो संबंधित सेन्ट्रल अकादमी द्वारा विहित की गई परीक्षा दो वर्ष की समाप्ति पर उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, परिवीक्षा की शेष कालावधि के दौरान ऐसी परीक्षा में सम्मिलित होने और उसे उत्तीर्ण करने के लिए दो और अवसर प्रदान किये जावेंगे और यदि वह इस अवसरों का लाभ उठाने मेंअथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसे सेवामुक्त कर दिया जावेगाऔर उसकेद्वारा निष्पादित करारनामा और प्रतिभूति बंध पत्र के निबंधन तथा शर्तों को उसके विरूद्ध प्रवर्तित किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि दो अतिरिक्त अवसरों का लाभ परिवीक्षा की प्रारंभिक कालावधि के दौरान ही उठाया जा सकेगा, बढाई गई परिवीक्षा की कालावधि के दौरान नहीं।

8. दो वर्ष के पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेने के पश्चात, परिवीक्षाधीन व्यक्ति राज्य में ऐसे और प्रशिक्षण प्राप्त करेगा जैसा कि अधिकथित किया जाए और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करेगा जैसी कि विहित की जाए।

9. ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जो विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

10. शासन के समाधानप्रद रूप में परिवीक्षा पूर्ण कर लेने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, सेवा में स्थाई किया जायेगा।

2/ उक्त उम्मीदवार प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, सतपुडा भवन भोपाल में आदेश दिनांक से एक माह के अंदर अपनी उपस्थिति दे सकेंगे तथा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त करेंगे।

3/ संबंधित उम्मीदवार अपना पदभार ग्रहण करते समय अपनी शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता मूल निवासी तथा जाति संबंधित प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत कर इसकी छायाप्रति अभिप्रमाणित करायेंगे।

4/ शासन के अधीन दिनांक **01/01/2005** अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगीं सेवा संबंधी मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य बनाये जाये और उन्हें लागू किया जाये, के अध्यधीन रहेंगे।

5/ शासकीय सेवा में नियुक्ति पश्चात सभी शासकीय सेवक स्वतः ही शासन के सभी नियम/निर्देशों, सेवा शर्तो के आबद्ध हुए माने जाते हैं तथा इनकी सेवाए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम-**1965** के अध्यधीन रहेगी।

6/ इन नियुक्तियों में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (अजा, अजजा और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम **1994** (क्रमांक **21** सन् **1994)** के उपबन्धो का और अधिनियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा अधिनियम की धारा **6** की उपधारा **(1)** के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

7/ यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में उम्मीदवार शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते है तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

8/ यह नियुक्ति आदेश पूर्णतः प्रावधिक रूप से जारी किया गया है जो माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. क्रमांक **8764/2023,** मान. उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू. पी. **37402/2024** एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय अध्यधीन रहेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Satyendra Prasad Singh
Date: 18-03-2026
13:15:13

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्रमांक एफ **1/1/1/0013/2023-Sec-1-10** भोपाल, दिनांक **18-03-2026**

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अग्रेषित **:-**

1. सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर की ओर उनके पत्र क्रमांक **6769/73/2024/**चयन, दिनांक **28** जुलाई, **2025** के संदर्भ में सूचनार्थ।

2. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।

3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश वन भवन, भोपाल।

4. निदेशक, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय, वन शिक्षा निदेशालय, पी.ओ. न्यू फॉरेस्ट, देहरादून (उत्तराखण्ड)

5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास) मध्य प्रदेश, भोपाल।

6. स्टॉफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल।

7. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी वन, मध्य प्रदेश, भोपाल।

8. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल।

9. संबंधित उम्मीदवार.. द्वारा प्र**0**मु**0**व**0**स**0** प्रशा**-1** भोपाल।

10. गार्ड फाईल।

सही/-
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग